रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 1976/फाल्गुन 22, 1897
No. 90] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 1976/PHALGUNA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 12th March 1976

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts raw naphtha [falling under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] from so much of duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 25/- per kilolitre at 15°C, when intended for use in the manufacture of ammonia provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such raw naphtha has been so used; and

(ii) where such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 11th day of March, 1977.

[No. 48/76]
N. RAJA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1976

सा० का० नि० 121(**अ**).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कच्चे नैप्था को [जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 6 के अन्तर्गत आता है], जब वह अमोनिया के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित हो, उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से, जितना 15 सेन्टी ग्रेड पर 25 रु० प्रतिकिलो लीटर से अधिक हो, छूट देती है : परन्तु यह तब जब कि—

(i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसा कच्चा नैप्था इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है; और

(ii) जहां ऐसा उपयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र किया जाता है, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

2. यह अधिसूचना 1977 के मार्च के 11 दिन तक, जिस में यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 48/76]

एन० राजा, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976